



न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया  
पीठासीन अधिकारी :- रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. /2023

वाद अ. धारा 88 आर.टी.ए.

कुलविन्द्र सिंह पुत्र श्री सुखपाल सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील  
संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादी

बनाम्

1. सुखपाल सिंह पुत्र श्री नर सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील  
संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-

वादीगण की ओर से :- श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से :- श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :-

वादी कुलविन्द्र सिंह ने प्रतिवादीगण सुखपाल सिंह वगैरा के विरुद्ध यह राजस्व वाद बाबत घोषणा का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 आपस में पिता/पुत्र है जो कि एक ही परिवार के सदस्य है। वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 12 बी.जी.पी. के खाता सं. 2/3 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 1.0706 है. कृषि भूमि तथा इसी चक 12 बी.जी.पी. के खाता सं. 143/7 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 0.658 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खातों की जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतियां सलंगन वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि में जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 की संयुक्त परिवार की संयुक्त आराजी है जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व (By birth Right) निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि बंटवारानुसार वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया। वादी को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का विभाजन निम्न प्रकार से हैं:-

लगातार --2

(क) वादी कुलविन्द्र सिंह पुत्र श्री सुखपाल सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-



तहसील संगरिया के चक 12 बी.जी.पी. के खाता सं. 2/3 जमाबन्दी सम्बत् 2073-76 में 1.0706 है. कृषि भूमि

तहसील संगरिया के चक 12 बी.जी.पी. के खाता सं. 143/7 जमाबन्दी सम्बत् 2073-76 में 0.329 है. कृषि भूमि

यह कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 को विरासतन तौर पर प्राप्त समस्त कृषि भूमि जिसका वर्णन वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित किया गया है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि प्रतिवादी सं. 1 को प्रश्नगत कृषि भूमि विरासतन तौर पर प्राप्त हुई है। वादी ने प्रतिवादी सं. 1 को बंटवारानुसार कृषि भूमि दर्ज करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 टाल मटोल करता रहा आखिर गत सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गया। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 द्वारा राजीनामा पेश किया गया जो कि बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 2 का जवाब स्टेट पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी के द्वारा तहसील संगरिया के चक 12 बी.जी.पी. के खाता सं. 2/3 जमाबन्दी सम्बत् 2073-76 एवं इसी चक 12 बी.जी.पी. के खाता सं. 143/7 जमाबन्दी सम्बत् 2073-76 की जमाबन्दीयों की प्रतियां पेश की गईं जो प्रदर्श-1 व 2 है। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गईं।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा आपस में कोई विरोध नहीं है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादीगण ने राजीनामा अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 12 बी.जी.पी. के खाता सं. 2/3 जमाबन्दी सम्बत्



2073-76 में 1.0706 है. कृषि भूमि तथा इसी चक 12 बी.जी.पी. के खाता सं. 143/7 जमाबन्दी सम्बत् 2073-76 में 0.658 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत होने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नहीं आया है। वाद पत्र मुताबिक राजीनामानुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा।

**--: क्रियात्मक आदेश :-**

अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष अनुसार डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 12 बी.जी.पी. के खाता सं. 2/3 जमाबन्दी सम्बत् 2073-76 में 1.0706 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी प्रकार इसी चक 12 बी.जी.पी. के खाता सं. 143/7 जमाबन्दी सम्बत् 2073-76 में 0.658 है. कृषि भूमि में से 0.329 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम किया जावे।

नोट:- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैंक रहन नहीं है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22/03/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),  
संगरिया



# डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,  
संगरिया

पीठासीन अधिकारी:- रमेश देव(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. /2023

कुलविन्द्र सिंह पुत्र श्री सुखपाल सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील  
संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादी

बनाम्

3. सुखपाल सिंह पुत्र श्री नर सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील  
संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :- .....

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ रमेश देव(आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते  
इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड़ वकील वादीगण मिन  
जामिन मुदई श्री कुलदीप मुण्ड वकील प्रतिवादी सं. 1 मिन जानिब मुदायला  
पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी सं. 1 के  
नाम से तहसील संगरिया के चक 12 बी.जी.पी. के खाता सं. 2/3 जमाबन्दी  
सम्बत् 2073-76 में 1.0706 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार  
घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी प्रकार इसी  
चक 12 बी.जी.पी. के खाता सं. 143/7 जमाबन्दी सम्बत् 2073-76 में 0.  
658 है. कृषि भूमि में से 0.329 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार  
काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम किया जाता है।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल  
दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज .....x.... निल .....x..... मुब्लिक .....x.....निल .....x.... बाबत् .....x..  
.....निल.....x..... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की  
तारीख वसूलयाबी तक .....x.....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक  
22/03/2023 को जारी किया जाता है।

(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),  
संगरिया